फारम सं0-563

क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

9/9/23 लोकनाथ महतो, पिता स्व0 चितन महतो उर्फ चितामन महतो, ग्राम–बाली, पोस्ट–चुरचू, थाना–चुरचू, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–चुरचु, मौजा–बाली, थाना नं0–15, खाता संख्या–7, प्लॉट संख्या–275, रकबा–05 डी0 भूमि सुमित्रा देवी, पति चामु महतो, ग्राम–आरा बस्ती नाथ, पोस्ट–सारूबेड़ा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ वर्तमान ग्राम–बाली, पोस्ट–चुरचू, थाना–चुरचू, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-128/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक–704/रा0 दिनांक–22.02.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, चुरचु को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग के पत्रांक 330 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत अवध बिहारी लाल हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 6.26 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 6.26 एकड़ है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या-21/III पर करमी देवी वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत् है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 1.51 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3

अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, चुरचु हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में लोकनाथ महतो, पिता स्व0 चितन महतो उर्फ चितामन महतो, ग्राम-बाली, पोस्ट-चुरचू, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-चुरचु, मौजा-बाली, थाना सं0-15, खाता संख्या-7, प्लॉट संख्या-275, रकवा-05 डी0 भूमि सुमित्रा देवी, पति चामु महतो, ग्राम-आरा बस्ती नाथ, पोस्ट-सारुबेड़ा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ वर्तमान ग्राम-बाली, पोस्ट-चुरचू, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.09 15:58:13 +05:30
Location: 192.168.0.104